

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमा वृद्धि)डीएलबी/22/3055 दिनांक: 30-11-2022

अधिसूचना


विभागीय समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक 631 दि.19.06.2020 के द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा विभागीय अधिसूचना क्र.सं. 512 दिनांक 21/4/2022 के द्वारा नगर पालिका कोटपूतली जिला जयपुर को नगर परिषद कोटपूतली घोषित किया गया था।

जिला कलेक्टर जयपुर के प्रस्तावानुसार एवं पंचायत विभाग के पत्रांक एफ 15 (33)पंरावि/विधि/न.पा.गठन /2022/1154 दिनांक 30/08/2022.की अनुपालना में नवगठित नगर परिषद कोटपूतली की वर्तमान सीमा में निम्नांकित ग्राम पंचायतों की सीमा को सम्मिलित करते हुए समस्त राजस्व गाँवों की वर्तमान सीमाओं के क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से सम्मिलित किया जाता है :-

क्र. सं.	नगर परिषद का नाम	राजस्व ग्राम पंचायत का नाम	नवगठित नगर परिषद में शामिल ग्राम पंचायत एवं उसमें सम्मिलित सम्पूर्ण राजस्व ग्रामों की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र नाम
01.	कोटपूतली	1. पनियाला	ग्राम पंचायत पनियाला का सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र
		2. खेडकी मुक्कड	राजस्व ग्राम खेडकी मुक्कड, कालूहेडा, बीजा हेडा,
		3. सांगेटडा	राजस्व ग्राम सांगेटडा, शेखपुरा
		4. रामसिंहपुरा	राजस्व ग्राम रामसिंहपुरा, चरन चक्की, खरखडी
		5 खेडकी वीरभान	राजस्व ग्राम खेडकी वीरभान, बासडी ग्रामीण
		6. बामनवास	राजस्व ग्राम बामनवास, गोपीपुरा, बूचाहेडा ग्रामीण
		7 जगदीशपुरा	राजस्व ग्राम जगदीशपुरा, श्याम नगर, भोजावास
		8 चतुर्भुज	राजस्व ग्राम चतुर्भुज, टापरी, बडाबास ग्रामीण, बालावास ग्रामीण
		9. सरुण्ड	राजस्व ग्राम सरुण्ड सम्पूर्ण पंचायत सीमा क्षेत्र
		10. कांसली	राजस्व ग्राम कांसली, फतेहपुरा - कलौ
		11. मोहनपुरा	राजस्व ग्राम मोहनपुरा, महरमपुर राजपूत
		12. सुन्दरपुरा	राजस्व ग्राम सुन्दरपुरा सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र
		13. कल्याणपुराखुर्द	राजस्व ग्राम कल्याणपुरा खुर्द, राहेडा, व पूतली
		14. अमाई	राजस्व ग्राम अमाई, खुर्दी सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र
		15. गोनेडा	राजस्व ग्राम गोनेडा, केशवाना गुर्जर

अतः नगर परिषद कोटपूतली की वर्तमान सीमा, (पूर्व की सीमा के साथ साथ उपरोक्त वर्णित ग्राम पंचायतों में सम्मिलित सम्पूर्ण राजस्व ग्रामों की सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए) विद्यमान सीमा हो जावेगी ।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(गठन)(सीमा वृद्धि)डीएलबी/22/3056-3100 दिनांक: 30-11-2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री /मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
04. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
07. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त ग्राम पंचायत सीमा को पंचायत विभाग से शीघ्र पृथक किया जाने का श्रम करावें।
08. निदेशक, जनगणना विभाग, राज. जयपुर।
09. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर जयपुर राजस्थान।
11. जिला कलेक्टर जयपुर को भेजकर निवेदन है कि संबंधित ग्राम पंचायत के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र के संदर्भ में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे एवं रिकार्ड एवं चल अचल सम्पति आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली को संभलाने के आदेश प्रदान करावें।
12. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
13. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 50 प्रतिशत उपलब्ध कराये जाने हेतु।
14. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जयपुर।
15. संबंधित जिला विकास अधिकारी, कोटपूतली (जिला जयपुर)।
16. समस्त अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
17. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
18. आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली को भेजकर लेख है कि अविलम्ब समस्त रिकार्ड एवं सम्पति का चार्ज संभाल कर जिला कलेक्टर एवं इस विभाग को रिपोर्ट अविलम्ब प्रस्तुत करें।
19. नोडल अधिकारी, वेबसाईट, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
20. सरपंच/उपसरपंच/सचिव, संबंधित ग्राम पंचायत/राजस्व ग्राम पंचायत पनियाला/ सांगेटडा /खेडकी मुक्कड/रामसिंहपुरा/खेडकी वीरभान/बामनवास/जगदीशपुरा/चतुर्भुज/सरुण्ड /कांसली/मोहनपुरा/सुन्दरपुरा/कल्याणपुरा खुर्द/ अमाई/गोनेडा..(जिला जयपुर) को भेजकर लेख है कि ग्राम पंचायत सीमा के समस्त राजस्व ग्रॉवों का सम्पूर्ण रिकार्ड आयुक्त नगर परिषद कोटपूतली को अविलम्ब संभलावे।
21. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी